जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/जीविवि/परीक्षा–2/गोप0/2024/1606 **दिनांक 14.10.2024**

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय,

सम्बद्ध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर(म०प्र०)

विषयः– **सत्र 2024-2025 स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के नामांकन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/252/38/सीसी/2024/38/भोपाल, दिनांक 08.04.2024**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के वांछित प्रपत्र **दिनांक 21-10-2024** तक आवश्यक रूप से नामांकन शाखा में जमा करें। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने वाले प्रपत्र निम्नानुसार हैंः–

१. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नामांकन आवेदन की प्रति मूल गेप प्रमाण-पत्र, मूल माईग्रेशन एवं अर्हता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

२. मूल माईग्रेशन, मूल गेप प्रमाण-पत्र एवं नामांकन आवेदन पत्र की प्रति (केवल मध्यप्रदेश राज्य के अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

३. समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों का सत्र 2024-2025 हेतु सम्बद्धता विभाग द्वारा जारी नो-ड्यूज पत्र एवं सम्बद्धता का पत्र।

४. जीवाजी एम.पी. ऑनलाईन जी२जी कॉलेज अनुमोदित सूची।

अतः उपरोक्तानुसार सत्र 2024–2025 में प्रवेशित ऐसे समस्त विद्यार्थियों के प्रपत्र **दिनांक 21-10-2024 तक** आवश्यक रूप से नामांकन शाखा में जमा करावें। इसके उपरांत भी यदि प्रपत्र जमा नही कराये जाते हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं के नामांकन जनरेट नहीं किये जावेगें, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा एवं महाविद्यालय प्राचार्य की ही होगी।

समस्त प्राचार्य यह पूर्णतः सुनिश्चित करें कि जिन छात्र/छात्राओं को उनके अघोषित अथवा प्रतीक्षारत् परीक्षा परिणाम के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अस्थाई प्रवेश (Provisional Admission) दिया गया है, वे समस्त छात्र/छात्रायें

प्रवेशित पाठ्यक्रम की अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण हों, वहीं जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही नामांकन दर्ज किया गया हो। इसके उपरांत भी यदि ऐसे छात्र/छात्रायें अर्हताकारी परीक्षा अनुत्तीर्ण होने पर भी परीक्षा फार्म भरते हैं अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हैं या गलत नामांकन क्रमांक जनरेट होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा एवं प्राचार्य की ही होगी।

नोट :- विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों हेतु System Information System (SIS) अनिवार्य होगा, जिससे कि समस्त छात्रों के सभी सत्रों के पुराने परीक्षा आवेदन-पत्र, प्रवेश पत्र एवं छात्र का सम्पूर्ण पुराना अभिलेख अपनी नेट की अंकसूची, Migration, Eligibility, Provisional Degree उसकी स्वयं की लॉगिन आई.डी. पासवर्ड पर उपलब्ध रहेगा, जिससे छात्र System Information System (SIS) के माध्यम से आसानी से निकाल सकेगें। छात्रों को अपने कार्य हेतु अन्य स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। यह System Information System (SIS) छात्र का विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन नम्बर जनरेट होने के पश्चात् नामांकन नम्बर से ही किया जायेगा। यह सुविधा पुराने छात्रों हेतु भी अनिवार्य की गई है। पुराने छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नामांकन नम्बर से System Information System (SIS) के माध्यम से कर सकते हैं।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

०१. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, कार्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
०२. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
०३. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
०४. श्री एच.के. द्विवेदी, आई.टी. सेल प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश शाखा से ऑनलाईन नामांकित एवं अप्रूव्ड छात्रों की ऑनलाईन सूची नामांकन जनरेट करने हेतु नामांकन शाखा में प्रस्तुत करें।)

प्रभारी परीक्षा नियंत्रक